

CE-10001

12/04/17

SSO 17

महत्वपूर्ण / तत्काल / ई-मेल
संख्या : 192 / III(2)16-51(सामान्य) / 2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।mail
1. C&C/ML/NH/PMU/UEAP/W-13
2. S.E
3. E.E

लोक निर्माण अनुभाग -2

देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय :

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के अनुपालनार्थ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं, कृपया, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इनका अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1. समय- समय पर शासन द्वारा मार्गों पर नवीनीकरण के कार्यों के उचित प्रवन्धन हेतु दिशा निर्देशों के साथ ही समय सारिणी भी दी जाती रही है। सम्बन्धित अधिकारी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2017-18 के लिए मार्गों पर स्वीकृत कि.मी. में नवीनीकरण का कार्य दिनांक 31 मई, 2017 तक पूर्ण किया जाय।
2. पूर्व निर्मित सेतुओं/पुलियों का मानसून से पूर्व सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा निश्चित रूप से निरीक्षण कर लिया जाय। सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं का दायित्व होगा कि उनके क्षेत्र से सम्बन्धित सभी सेतुओं/पुलियों का सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है तथा निरीक्षण आख्या ब्रिज एवं क्लवर्ट रजिस्टर में अंकित कर दी गयी है।
3. निरीक्षण के समय सेतुओं/पुलियों में जहां कोई क्षति/कमी दृष्टिगोचर होती है, अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत मानसून से पूर्व उसकी मरम्मत करवा दी जाय। यदि कार्य की मात्रा अधिक है तथा सामान्य अनुरक्षण की मद से कार्य सम्पादित कराने में कठिनाई हो तो आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को प्रेषित किया जाय ताकि स्वीकृति सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही प्रमुख अभियन्ता स्तर से की जा सके।
4. मार्गों को पैचलेस (गड़ढा मुक्त) किये जाने हेतु समय सारिणी तथा दिशा निर्देश शासन के पत्र दिनांक 29 मार्च, 2017 द्वारा दिये जा चुके हैं। सम्बन्धित अधिकारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें।
5. कार्यों की गुणवत्ता की चेकिंग हेतु मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं को प्रतिमाह कार्य आवंटित किए जाते हैं। कतिपय अधिकारियों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कार्य की गुणवत्ता का उल्लेख मानकों के सापेक्ष न करते हुए अपनी आख्या में सुझाव अंकित किया रहता है। कृपया, कृत कार्य की गुणवत्ता का उल्लेख मानकों के सापेक्ष स्पष्ट रूप से किया जाय। यदि यह पाया गया कि अमुक अधिकारी द्वारा

- निरीक्षण आख्या में स्पष्टता अंकित नहीं की गयी है तो निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी की भी संलिप्तता मानते हुए उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है।
6. दिनांक 25 मार्च, 2017 को मा. मुख्यमंत्री जी की बैठक के समय यह बिन्दु उठाया गया कि ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के बीच एन.एच. 58 पर 5-6 स्थानों पर जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं में मानकों के अनुसार क्रैश बैरियर लगवा दिए जायें ताकि भविष्य में उन स्थानों पर सम्भावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, गढ़वाल क्षेत्र उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
 7. सेतुओं के निर्माण में जहां मानसून से पूर्व कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है, वहां युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए मानसून से पूर्व कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ताकि आने वाली मानसून सीजन में क्षेत्रवासियों को उसका समुचित लाभ मिल सके।
 8. जिन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में कन्सलटेन्ट्स द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाई जा रही हैं वहां पर विभागीय अधिकारी कार्य स्थल पर सत्यापन अवश्य कर लें। सेतुओं की डिजाइन/ड्राइंग तथा लौचिंग Scheme को उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुभवी एवं दक्ष विशेषज्ञों से अवश्य Vette करवा लिया जाय तथा निविदा आमंत्रण से पूर्व सभी बिन्दुओं पर सक्षम स्तर से स्पष्टता एवं तकनीकी स्वीकृति हो जानी चाहिए।
 9. पहाड़ कटान से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाय कि Back Cutting pillars एवं Level Pillars की Location सही है। इस हेतु विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पहाड़ कटान से पूर्व कार्य स्थल पर अनुमोदित Alignment के अनुसार जांच कर ली जाय ताकि पहाड़ कटान के पश्चात मार्ग का Gradient मानकों के अनुसार हो।
 10. वर्षा ऋतु में मार्ग की पटरियों पर झाड़ियां/घास उग आती है, फलस्वरूप कि.मी. पत्थर, हेक्टोमीटर पत्थर पर अंकित सूचना कई बार पढ़ने में नहीं आती है। अतः मार्ग के मेट/गैंग को तदानुसार सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर घास/झाड़ियों की कटिंग किए जाने हेतु उचित दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए।
 11. मार्गों पर जो इन्फार्मेशन बोर्ड लगे होते हैं, कई बार उन पर निर्वाचन के समय अथवा जन सामान्य द्वारा पम्पलेट्स आदि चिपका दिए जाते हैं, फलस्वरूप मार्ग पर नये चालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है इस सम्बन्ध में भी मार्ग की गैंग/मेट को समय-समय पर उन्हें हटाने हेतु उचित दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए।
 12. मार्गों पर जहां पर रम्बल स्ट्रिप्स बनाने अपरिहार्य हों वहां मानकों के अनुसार निर्मित की जायें तथा रम्बल स्ट्रिप्स से पूर्व दोनों तरफ 50 मीटर पहले इस सम्बन्ध में सूचना पट अवश्य लगा हो। रम्बल स्ट्रिप्स पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से पेन्टिंग की जानी चाहिए जिससे कि कुछ दूरी से रम्बल स्ट्रिप्स स्पष्ट दिखाई दें ताकि वाहन चालकों को अपनी स्पीड नियन्त्रित करने का समय मिल सके।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या : 192 / III(2)16-51(सामान्य)/2013, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री आर.पी. भट्ट, तकनीकी परामर्शदाता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/टिहरी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
3. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु निर्माण, गढ़वाल क्षेत्र/कुमाऊँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
4. मुख्य अभियन्ता, ए.डी.बी./विश्व बैंक, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव।

प्राप्तिका संख्या सं. 136 / प्रशा. 10000/2013 दि. 03/04/2014

उपरोक्त को पत्र निर्माण विभाग को सूचना के लिए प्रेषित करने हेतु प्रेषित है।
अनुपालन के लिए प्रेषित है।

- 1- मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय शाखाएं लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा/टिहरी/पिथौरागढ़।
- 2- मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय लोक निर्माण विभाग देहरादून/हल्द्वानी।
- 3- मुख्य अभियन्ता ए.डी.बी./विश्व बैंक/लोक निर्माण विभाग देहरादून।

- 4- एम.एल. अडिशनल अभियन्ता कुमाऊँ क्षेत्रीय शाखा
 - 5- एम.एल. अडिशनल अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्रीय शाखा
- उपरोक्त को सूचना के लिए देहरादून को इस संख्या में प्रेषित को सूचना के पत्र निर्माण विभाग को सूचना के लिए प्रेषित करने के लिए।
- 6- मुख्य अभियन्ता (ग.व.) हल्द्वानी क्षेत्रीय शाखा
- अनुपालन लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

03/04/14
मुख्य प्रशासक/अधीक्षक
क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता एवं विभाग
लोक निर्माण विभाग